

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 3001832016.

दांडिक प्रकरण क.-210/2016

संस्थापित दिनांक 12.07.2016

| |
|---|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div> |
| विरुद्ध |
| 01-काशीराम पुत्र किशनलाल आयु 38 वर्ष 02-अनिताबाई पत्नी काशीराम आयु 36 वर्ष निवासीगण ग्राम नावनी। <div>.....आरोपीगण</div> |
| राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री गौरव जैन अधिवक्ता। |

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.09.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324,323,504,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34 एवं 504/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 दो शीर्ष के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी वीरसिंह ने दिनांक 23.06.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 02.06.16 को 13:00 बजे गाव की सरकारी टंकी पर जब वह नहा रहा था तब आरोपीगण आए और उसके साथ गाली गलोच करने लगे तथा आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की एवं दांतों से काट खाया व साथ ही कुल्हाड़ी से मारा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 290/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 504,323,324 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगा के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323/34,504/34 एवं 324/34 दो शीर्ष के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 02.06.16 को दिन के एक बजे ग्राम नावनी में फरियादी वीरसिंह एवं आहत गोलू की दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 वीरसिंह एवं अ0सास02 गोलू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 वीरसिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका वाद विवाद हो गया था। इसी प्रकार अ0सा02 गोलू ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था। दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने दांतों से काटा था। दोनों साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। उपरोक्त दोनों साक्षीगण ने पुलिस कथन प्र0पी02 एवं पी03 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है एक भी अभियोजन साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं आहत को दांतों से काटकर या कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 दो शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)